


न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर (म०प्र०)

राजस्व निगरानी कमांक...../2010-11

R-1656-4/2010



एस०के०कहान एण्ड सन्स कंपनी द्वारा डायरेक्टर सुनील जौहर तनय राजेन्द्र नाथ जौहर कटनी मुख्त्यारआम के०बी०सिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह निवासी पतेरी सतना म०प्र०-----निगराकार

रमेश यादव
आयुक्त इलाहाबाद

दिनांक 30-11-10

प्रस्तुत /

30-11-10

बनाम

01-हीरालाल मिश्रा तनय स्व० रामचरण मिश्रा उम्र 66 वर्ष,

02-राजकुमार मिश्रा तनय हीरालाल मिश्रा उम्र 32 वर्ष,

दोनो निवासी प्रणामी मन्दिर के पास सब्जी मण्डी सतना।

03-लालजी द्विवेदी तनय भागवत प्रसाद द्विवेदी उम्र 44 वर्ष

निवासी सतना तहसील रघु०नगर जिला सतना म०प्र०।

04-शासन म०प्र०-----गैर निगराकारगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म०प्र०

भू०रा०सं०-1959 विरुद्ध आदेश नायब

तहसीलदार वृत्त रैगांव के राजस्व प्र०क०

-20अ74/2010-11 मे पारित आदेश

दिनांक 26.10.2010

30-11-10

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर


आदेश पृष्ठ

भाग - अ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1656-दो/2010

जिला सतना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
27-2-2015	<p>आवेदक की ओर कोई उपस्थित नहीं। आवेदक द्वारा तहसीलदार वृत्त रैगांव के प्र0क0 20/अ-74/2010-11 में पारित आदेश दिनांक 26-10-2010 के विरुद्ध इस न्यायालय में दिनांक 30-11-2010 को इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गई थी। कई बार सूचना जारी की गई। प्रकरण प्रस्तुत करने के दिनांक से आज दिनांक तक न तो आवेदक और न ही उनके अभिभाषक उपस्थित हुये हैं। लगभग चार वर्ष एवं 22 पेशीयां बीत जाने के बाद भी प्रकरण में कोई उपस्थित नहीं है। ऐसी स्थिति में आवेदक की प्रकरण में रूचि न लेने से इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।</p>	


सदस्य